न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः— 110/2019

1. मिरजा पुत्र फूलचंद जाति बावरी निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र हनुमान दास जाति अग्रवाल निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. लक्ष्मण पुत्र फूलचंद जाति बावरी निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. तुलसी राम पुत्र फूलचंद जाति बावरी निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. कृष्ण पुत्र फूलचंद जाति बावरी निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5 राजूराम पुत्र फूलचंद जाति बावरी निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
6 जोगीराम पुत्र फूलचंद जाति बावरी निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
7 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र बाबत
स्वीकृति रास्ता

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण
1. श्री रविन्द्र मोदी — प्रार्थी
2. श्री कुन्दन लाल चुघ — अप्रार्थीगण संख्या 1

आदेश

दिनांक 28.02.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की चक न0 6 एस डी एस तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2071—2074 की खाता संख्या 129/123 की प0न0 56/129 मु0न0 66 किला न0 13/2, 14, 15 व प0न0 57/129 मु0न0 65 किला न0 11/1 की 0.658 हैक्टर कृषि भूमि हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक न0 6 एस डी एस तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2071—2074 की खाता संख्या 116/109 मु0न0 66 किला न0 1 ता 10 की 2.530 हैक्टर कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के नाम से खाता संख्या 129/123 में कृषि भूमि दर्ज है। प्रार्थी के हक व हिस्से व कब्जा काश्त की आराजी में आने—जाने के लिए चक न0 6 एस डी एस प0न0 56/129 मु0न0 66 किला न0 5 की उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे सरकारी रास्ता से होकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त की चक न0 6 एस डी एस की प0न0 56/129 मु0न0 66 के किला न0 5, 6 के पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण रास्ता में से होकर अपने कब्जा काश्त की मु0न0 66 के किला न0 15 में आता—जाता है व इसी रास्ते का उपयोग प्रार्थी संख्या 2 ता 6 कर रहे है। मु0न0 66 का किला

28/2/2020
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

न0 5, 6 अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जा काश्त में है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि मे आने–जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। जिस कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 को अपनी कृषि भूमि मे आने–जाने व खेत से बाजार में फसल लाने में ज्यादा समस्याओ का सामना करना पडता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 को उक्त रास्ता से आने–जाने से रोकने की कोशिश करते रहते है एवं समय–समय पर उक्त रास्ता में टैक्ट्रर, ट्राली व अन्य कृषि उपकरण खडे करके अवरोध पैदा कर देते है। मौका पर चालू रास्ता स्वीकृत ना होने के कारण प्रार्थी अपनी आराजी में आने–जाने से वंचित हो जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की आराजी के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को कहा कि चक न0 6 एस डी एस की प0न0 56/129 मु0न0 66 किला न0 5, 6 के पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण प्रत्येक किला में 1–1 बिस्वा रास्ता सहमति से स्वीकृत करवा देवे तो अप्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की बात मानने से इन्कार कर दिया। बस यही बिनाय मुखास्मत प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में यह अनुतोष चाहा गया कि उसकी आराजी चक 6 एस डी एस में आने–जाने के लिए चक न0 6 एस डी एस की प0न0 56/129 मु0न0 66 किला न0 5, 6 की पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण प्रत्येक किला में 1–1 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री कुन्दन लाल चुघ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने यह कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के नाम से जो रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है वह पूर्व में जानकी पत्नि फूलचंद के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड था। प्रार्थी जानकी पत्नि फूलचंद का लडका है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 फूलचंद के लडके है। प्रार्थी व उसका भाई चक न0 6 एस डी एस की प0न0 56/129 मु0न0 66 के किला न0 5 के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे सरकारी रास्ता से होकर अपने रकबे में नही आते जाते है। प्रार्थी व उसके भाई गांव की आबादी से अपने खेत में जाने के लिए चक न0 6 एस डी एस के मु0न0 72 के किला न0 5, 6 में से होकर अपने रकबे में आते–जाते रहते है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 चक न0 6 एस डी एस के मु0न0 72 किला न0 5, 6 में शमशान भूमि मे से होते हुए अपने रकबा में जाते है। प्रार्थी के पास अपने रकबे में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी सुविधा जनक रास्ता की मांग नही कर सकता। प्रार्थी व उसके भाई चक न0 6 एस डी एस की प0न0 56/130 मु0न0 72 के किला न0 18, 23 में से होते हुए अपनी कृषि भूमि में आते–जाते है। प्रार्थी का चक न0 6 एस डी एस के प0न0 56/129 मु0न0 66 किला न0 5, 6 में से कभी भी आना–जाना नही रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 की चक न0 6 एस डी एस के मु0न0 66 की किला न0 5, 6 में फसल की बिजाई की हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के नाम की कृषि भूमि पूर्व में जानकी पत्नि फूलचंद के नाम से थी। जानकी पत्नि फूलचंद के रकबे में आने–जाने के लिए चक न0 6 एस डी एस के मु0न0 72 किला न0 18, 23 के प्रत्येक बीघा में 1–1 बिस्वा में रास्ता चालू था। उक्त रास्ता प्रार्थी के लिए सुविधाजनक है। अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 का कभी भी रास्ता चालू नही रहा है। तमाम तथ्य प्रार्थी ने झूठे वर्णित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 के रकबे में जब कोई रास्ता ही नही है तो प्रार्थी का यह कहना कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 को उक्त रास्ता में से आने में रूकावट डालता है गलत होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा के बीच में से कोई रास्ता नही है। जब रास्ता ही नही है तो अप्रार्थी संख्या 1 ट्रैक्टर–ट्राली व अन्य अवरोध क्यों पैदा करेगा। प्रार्थी के पास अपने रकबे में जाने के लिए चक न0 6 एस डी एस के मु0न0 72 किला न0 18, 23 मे से होकर जाने का रास्ता है। प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नही है। प्रार्थी अप्रार्थी के रकबे में से रास्ता की मांग नही कर सकता। अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि में यदि प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता को स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि मे दो टुकडे हो जावेगे व मु0न0 65 के किला न0 10 अप्रार्थी की भूमि से अलग हो जावेगा जो बंजर हो जावेगा। प्रार्थी के पास अपने रकबे में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के रकबे में से रास्ता की मांग नही कर सकता। अप्रार्थी की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि के दो टुकडे हो जावेगे व अप्रार्थी संख्या 1

(राजस्व)

Scanned by CamScanner

को नुकसान पहुंचेगा जिसकी क्षति-पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से संभव नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 को किसी प्रकार का कोई नुकसान नही है। प्रार्थी के पास अपने रकबे में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी हमेशा से चक न0 6 एस डी एस के मु0न0 72 किला न0 18, 23 में से होते हुए अपने रकबे मे पहुंचते है। धारा 251 ए आरटीए मे यह प्रावधान है कि कोई खातेदार अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता की मांग नही कर सकता। प्रार्थी को क्षति नही है। प्राथी नेक नियत नही है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता। सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के नाम की कृषिभूमि जानकी पत्नि फूलचंद जाति बावरी के नाम से थी। उक्त भूमि के लिए गांव की आबादी से चक न0 6 एस डी एस के मु0न0 72 के किला न0 18, 23 में से जानकी के रकबे में आने-जाने के लिए रास्ता था, जिसको जानकी व जानकी के पुत्र उपयोग व उपभोग में ले रहे है। प्रार्थी नये रास्ते की मांग नही कर सकता। प्रार्थी सुविधाजनक रास्ता की मांग नही कर सकता। प्रार्थी के पास रास्ता उपलब्ध है तो प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नही कर सकता। प्रार्थना-पत्र विधि विरुद्ध होने के कारण काबिले खारिजी के है। प्रार्थी को मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ विनाय प्रार्थना-पत्र हासिल नही होने के कारण प्रार्थना-पत्र काबिले खारिजी के है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार राजस्व सादुलशहर से मौका की रिपोर्ट मंगवायी गई। मौका रिपोर्ट में प्रार्थी को मु0न0 66 के किला न0 5, 6 के अलावा अन्य कोई नज़दीकी रास्ता नही होना बताया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से भी हल्का पटवारी चक न0 6 एस डी एस का नक्शा मौका पेश किया गया जिसमें मु0न0 72 के किला न0 18, 23 में रास्ता दिखाया गया है। जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में बहस सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया कि प्रार्थी के रकबे में जाने के लिए चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही है। प्रार्थी के हिस्से में जो भूमि है उसमें जाने के लिए कोई रास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने द्वारा प्रस्तुत पटवारी का नक्शा मौका पर जोर देते हुए कहा कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 को अपने रकबे में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है जो चक न0 6 एस डी एस के मु0न0 72 के किला न0 18, 23 मे से होते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 अपने खेत में आ-जा रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 का मु0न0 66 व 72 में कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 सुविधाजनक रास्ता की मांग नहीं कर सकते।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र, जवाब प्रार्थना-पत्र व प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने एंव बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के नाम की कृषि भूमि पूर्व में जानकी पत्नि फूलचंद के नाम से थी। उक्त रकबा शमशान भूमि के साथ चिपता हुआ है। शमशान भूमि में आने के लिए रास्ता मु0न0 72 के किला न0 18, 23 मे उपलब्ध है। उक्त रास्ते से प्रार्थी अपने रकबे में आ-जा सकता है। धारा 251 ए आरटीए में यह प्रावधान है कि कोई भी काश्तकार सुविधा जनक रास्ता की मांग नही कर सकता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता साबित नही होने से खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/02/2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: